फैसला

हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास

पत्रिका कोर्ट न्यूज

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

सिंगरौली. तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय द्वारा हत्या के आरोपियों रामकुमार बैगा पिता रामनाथ बैगा उम्र 32 वर्ष व शांति बैगा पति राम कुमार बैगा उम्र 30 को धारा 302 भादंवि के तहत आजीवन कारावास व 2000 रुपए अर्थदंड और भादवि की धारा 201 के तहत साक्ष्य छुपाने के लिए आरोपी रामकुमार बैगा, शांति बैगा व रामसुंदर बैगा को 4 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन अधिकारी के मुताबिक आरोपियों के विरुद्ध धारा 302/201/34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज था। महिला के साथ प्रेम संबंध को लेकर 20 अगस्त 2020 की रात ग्राम बेतरिया में मेघनाथ केवट के सिर में टगारी से चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी गई।

हत्या बाद मेघनाथ के शव को आरोपियों द्वारा ग्राम बेतरिया में रामसुंदर के खेत में गहरा गड्ढा खोदकर दफना दिया गया था। पुलिस थाना बैढ़न में आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन की दलील सुनने के बाद आरोपियों को सजा सुनाई गई। न्यायालय में अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शेख वसीम द्वारा की गई।